

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं-05/स्था0-146/2007...../

पटना, दिनांक-

प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल छपरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रतन कुमार, उपनिदेशक, कल्याण, सारण प्रमंडल, छपरा को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण(छपरा) के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना
पटना, दिनांक.....

निबंधित/ई0मेल

ज्ञा0-05/स्था0-146/2007

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण(छपरा)/जिला पदाधिकारी, सारण(छपरा)/ उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री रतन कुमार, उपनिदेशक, कल्याण, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण(छपरा)/मोटरयान निरीक्षक, सारण(छपरा)/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, परिवहन विभाग/सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञा0-05/स्था0-146/2007

6008

पटना, दिनांक..... 4.11.0116

प्रतिलिपि:- अधिसूचना की अतिरिक्त प्रति के साथ आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि अधिसूचना की सी0डी0 तैयार कर निर्गमन शाखा को उपलब्ध कराये।

सरकार के विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं-05/स्था0-146/2007...../

पटना, दिनांक-

प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल छपरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रतन कुमार, उपनिदेशक, कल्याण, सारण प्रमंडल, छपरा को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण(छपरा) के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक...4.11.07/6

निबंधित/ई0मेल

ज्ञा0-05/स्था0-146/2007

6008

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण(छपरा)/जिला पदाधिकारी, सारण(छपरा)/ उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री रतन कुमार, उपनिदेशक, कल्याण, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण(छपरा)/मोटरयान निरीक्षक, सारण(छपरा)/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, परिवहन विभाग/सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सूचित)

सरकार के विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना